21.12.2023

अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत हुयी।

वकील अप्रार्थी का तर्क रहा है कि न्यायालय हाजा में उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध अपील संख्या 50/21 उनवानी नरेश चतुर्वेदी वगै0 बनाम आशा चतुर्वेदी वगै0 अंतर्गत धारा 225 आरटीएक्ट प्रस्तुत की गयी थी, जो निर्णय दिनांक 16.08.2023 से स्वीकार हुयी। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में यह अंकित किया गया है कि अपील संख्या 50/21 की जानकारी होने के बाद मुन्तकिली प्रार्थना संख्या 2021/3129 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र की दस्ती न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर स्वयं प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 19.07.2021 को प्रस्तुत की गयी थी। इससे यह तात्पर्य है कि प्रार्थीया को उक्त अपील की जानकारी थी एवं मद संख्या 05 प्रार्थना पत्र में यह भी स्वीकार किया है कि न्यायालय हाजा से अपील की सूचना बाबत् रजिस्टर्ड ए0डी0 भी प्रार्थीया को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होना एवं रजिस्टर्ड ए0डी0 होना स्वीकार किया है। जब पक्षकार एक बार न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो गया तो बार–बार न्यायालय से पक्षकार को सूचना ना तो जायेगी और न ही ऐसा प्रावधान है। पक्षकार को स्वयं जागरूक होना चाहिये। आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 में यह प्रावधान दिया गया है कि सूचना की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई है व अपील की सुनवाई के लिये पुकार होने पर उप संजात होने से पर्याप्त हैतुक से निवारित हो गया था तो न्यायालय उपस्थिति में अपील को पुनः सुनेगा जबकि अपील में एक पक्षीय सुनवाई नहीं हुयी है। इस प्रकार आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 के प्रावधान वही लागू होते हैं जहाँ किसी पक्षकार को नोटिस अथवा सम्यक रूप से तामील नहीं हुये हो जबकि हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीया को तामील हुयी है एवं स्वयं हाजिर हुयी है, तो ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं होने से काबिल निरस्ती के हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2009 पेज 235, डीएनजे 2007 पेज 263 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थीया दिनांक 16.03.2023 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुयी थी और प्रार्थीया को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2023 बताई गयी थी। दिनांक 16.03.2023 के पहले भी प्रार्थीया बीच–बीच में न्यायालय में आती रहती थी। तदुपरांत प्राथीया दिनांक 17.05.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुयी और फिर प्रार्थीया को आगामी पेशी दिनांक 01.08.2023 बताई गयी। जिसकी पुष्टि न्यायालय की आदेशिका से भी होती है। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण की ओर से नजदीक तारीखा पेशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त नजदीक पेशी प्रार्थना पत्र के बारे में प्रार्थीया को कोई भी सूचना नहीं दी गयी। जबकि विधिवत उक्त नजदीक पेशी प्रार्थना पत्र की एक प्रति प्रार्थीया को अतिआवश्यक रूप से दी जानी चाहिये थी। इसके बाद प्रार्थीया के विरूद्ध गैर कानूनी तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाना प्रारम्भ कर दिया एवं प्रार्थीया को किसी भी तारीख पेशी के बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गयी, जो कि पूर्णरूपेण विधि विरूद्ध और अवैधानिक है। अतः हस्तगत प्रकरण में आदेश 41 नियम 21 के प्रावधान लागू होते हैं एवं माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2022(1) पेज 184 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि प्रार्थीया स्वयं अपने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 सीपीसी में स्वयं इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि दिनांक 18.06.21 को प्रकरण

में एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी एवं अपीलाण्ट के अप्रार्थीगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रार्थीया को प्राप्त हुई। जिसके बाद प्रार्थीया द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र की दस्ती भी दिनांक 19.07.2021 को प्रार्थीया द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की गयी। पेशी दिनांक 16.03.2023 को भी प्रार्थीया स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना कथन करते हुये, अग्रिम पेशी दिनांक 17.05.2023 नोट करना बताती हैं एवं पेशी दिनांक 17.05.2023 को भी स्वयं का न्यायालय में उपस्थित होना एवं अग्रिम पेशी दिनांक 01.08.2023 नोट करना बताती है। इसी बीच अपीलाण्ट अप्रार्थी की ओर से नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश की प्रति प्रस्तुत होने पर प्रकरण में दिनांक 26.06.2023 नियत की गयी। उक्त कार्यवाही के बाद प्रार्थीया स्वयं न्यायालय हाजा में दिनांक 01.08.2023 को उपस्थित होना कथन करती हैं, तो उन्हें दिनांक 01.08.2023 को अपने प्रकरण बाबत् जानकारी करनी चाहिये थी। हम यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि प्रार्थीया ने स्वयं रजिस्टर्ड ए0डी प्राप्त करना एवं न्यायालय में स्वयं उपस्थित होना स्वीकार करती हैं। परन्तु उनके द्वारा स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होने की दिनांक 19.07.2021 से दिनांक 01.08.2023 तक प्रकरण में उनकी तरफ से पैरवी करने हेतु कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया गया। इसी क्रम में प्रार्थीया की यह आपत्ति भी निराधार है कि उन्हें नजदीक तारीख पेशी बाबत् कोई सूचना नहीं दी गयी। क्योंकि वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित रही हैं परन्तु उनके द्वारा कोई अभिभाषक की नियुक्ति नहीं की गयी, तो न्यायालय किस प्रकार उनको नजदीक तारीख पेशी की सूचना देता। चूंकि न्यायालय की ओर से उन्हें विधिवत नोटिस प्राप्त हो चुका था। अतः प्रार्थीया को न्यायालय की किसी कार्यवाही से सूचित करने हेतु पुनः नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् प्रार्थीया स्वयं का दायित्व है कि न्यायालय की कार्यवाही से अपने आप को सूचित रखें एवं यथा आवश्यक अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहें। इसके अलावा नजदीक तारीख पेशी नियत करने के पश्चात् भी प्रार्थीया स्वयं दिनांक 01.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित होना कथन करती हैं। जबकि अपीलाधीन आदेश नजदीक तारीख पेशी नियत करने के पश्चात् करीब छः तारीख पेशीयॉ निर्धारित होने के पश्चात् दिनांक 16.08.2023 को पारित हुआ है। इस प्रकार हमारे मत में प्रार्थीया को हस्तगत प्रकरण की पूर्ण जानकारी रही है एवं वह स्वयं अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व दिनांक 01.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित होना स्वीकार करती हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 के प्रावधान वहीं लागू होते हैं जहॉ किसी पक्षकार को नोटिस अथवा सम्यक रूप से तामील नहीं हुये हो। जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया को उचित रूप से तामील हुयी हैं एवं वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना स्वीकार करती हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं होने के कारण काबिल निरस्ती है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-12-2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राज.)